

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—:आदेश:—

संचिका संख्या-6/प0भ0-38-01/2024

पटना दिनांक.....

वित्त विभाग का संकल्प संख्या-12414 दिनांक-31.12.2009 में निहित शर्तों एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8043/वि0, दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-3 (B) (i) में निर्धारित दरों के आधार पर बिहार वित्त सेवा के श्रीमती हेमलता कुमारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को राज्य-कर संयुक्त आयुक्त के पद पर उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से यथा अनुमान्य शहरी परिवहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० स०	पदाधिकारी का नाम	वेतनमान का लेवल	प्रभार ग्रहण की तिथि	परिवहन भत्ता देयता की अवधि	वित्त विभागीय संकल्प संख्या 8043/वि0, दिनांक-11.10.2017 के आलोक में अनुमान्य राशि
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती हेमलता कुमारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना।	12	28.04.2026 पूर्वाह्न	28.04.2026 से	रु० 4000+DA

2. उक्त भत्ता अवकाश, प्रशिक्षण, भ्रमण आदि के कारण 30 दिनों से अधिक समय तक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में देय नहीं होगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

बिहार, पटना।

ज्ञापक-6/प0भ0-38-01/2024

1635

पटना दिनांक.....11/5/26

प्रतिलिपि:-प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना (मूल प्रति)/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आईटी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती हेमलता कुमारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।